



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102021-230500
CG-DL-E-18102021-230500

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3951]
No. 3951]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 18, 2021/आश्विन 26, 1943
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2021/ASVINA 26, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4300(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, बिहार राज्य के नालन्दा जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 110 के कि०मी० 27.000 से कि०मी० 29.000 तक (अरवल - बिहार-शरीफ) के ROB निर्माण (चौड़ा करने दो/चार लेन का ROB बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिये उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

बिहार राज्य के नालन्दा जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 110 के कि०मी० 27.000 से कि०मी० 29.000 तक
(अरवल - बिहार-शरीफ) तक पर भू-अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी , नालंदा	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH110 के कि.मी. 27 से 29 तक	बिहार	नालंदा	इस्लामपुर		
						1	मोहसिमगंज
						2	चौरई
						3	मोजाहिदपुर

[फा. सं. RW/NH-12014/Bihar(9)LA/17-S&R(B)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2021

S.O. 4300(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in columns (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for construction of ROB (widening Two/Four laning for ROB, etc.) maintenance, management and operation of the stretch of land from km 27+000 to km 29+000 of the National Highway No. 110 (Arwal- Bihar Sharif) in district Nalanda in the State of Bihar as specified in the Schedule given below.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway - 110 from km 27+000 to km 29+000 (Arwal- Bihar Sharif) in district Nalanda in the State of Bihar.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village						
1	2	3	4	5	6	7						
1	District Land Acquisition Officer, Nalanda	27KM To 29KM	BIHAR	NALANDA	Islampur	<table><tr><td>1</td><td>Mosimganj</td></tr><tr><td>2</td><td>Chorai</td></tr><tr><td>3</td><td>Mojahidpur</td></tr></table>	1	Mosimganj	2	Chorai	3	Mojahidpur
1	Mosimganj											
2	Chorai											
3	Mojahidpur											

[F. No. RW/NH-12014/Bihar(9)LA/17-S&R(B)]

RAJESH GUPTA, Director